

अनुदान संख्या 14 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2240,32,00		
		2240,34,00	1928,93,78	-311,40,22
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			311,00,04
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	51,50,00	13,43,25	-38,06,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			38,06,75

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	21060.00		
		
पु.	R.	-21060.00		
		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	192750.00			
पू.	S.	2.00	183305.46	183263.84	-41.62
पु.	R.	-9446.54			

(I) ₹21060.66 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.66 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹20910.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक पूर्ति – निदेशन और प्रशासन" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹910.00 लाख; और

(खा) "मूल्य स्थिरता निधि" – ₹20000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹814.57 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7679.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने और सहायता अनुमोदन प्रकोष्ठ द्वारा ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन/अन्य

(I) Provision of ₹21060.66 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.66 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹20910.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration" - under the following heads:-

(A) "Consumer Protection Cell" - ₹910.00 lakhs; and

(B) "Price Stabilization Fund" - ₹20000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Protection Cell" - saving of ₹814.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7679.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to receipt of less claims and non-approval of media

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	3050.00			
			1176.74	1176.74	..
पु.	R.	-1873.26			

(I) ₹750.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹750.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" - "अन्य सेवाएं - राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण" के अंतर्गत - ₹1233.49 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Other Services - Construction of Laboratory Building for National Test House" - saving of ₹1233.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals towards procurement of machinery and equipments and requirement of less funds by Central Public Works Department for construction of building.

(III) मुख्य शीर्ष "5475" - "नागरिक पूर्ति - समय प्रसार" के अंतर्गत - ₹1887.60 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की कम अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Dissemination of Time" - saving of ₹1887.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to less procurement of machinery and equipments

4. उपभोक्ता कल्याण निधि :-

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके 1991 में की गई थी ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग बने हुए नियमों अनुसार किया जा सके। वह धनराशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers

अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को लौटाए जाने योग्य नहीं होती, उसे इस निधि में जमा कर दिया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण निधिनियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात्, 27 जनवरी, 1994 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें और संशोधन करके इन नियमों को और व्यापक बनाया गया। इन नियमों के बाद में 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को भी संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई परंतु उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने तथा देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सृष्टि बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

वर्ष 2019-2020 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

अथशेष
प्राप्तियां
अदायगियां
अंत शेष

under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

Opening Balance :	499,79,57
Receipts :	-2,62,42
Payments :	19,09,58
Closing Balance :	478,07,57